रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082025-265224
CG-DL-E-06082025-265224

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3490] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2025/श्रावण 13, 1947
No. 3490] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2025

का.आ. 3576(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2493(E) तारीख 29.05.2025 जो भारत के साधारण राजपत्र तारीख 05.06.2025 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में सिलचर – पानीसागर प्रकृतिक गैस पाइपलाइन के मधायम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि मे उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : श्रीभूमि					**राज्य : असम**	
सर्कल	**मौज़ा**	**गाँव**	**दाग नं**	**क्षेत्रफल**		
				हेक्टेअर	**आर**	**वर्ग मीटर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
बदरपुर	नहरपुर	नहरपुर	404	00	00	13
			398	00	00	01
			319	00	00	18
			397	00	02	11
			320	00	00	80
			436	00	02	53
			446	00	00	06
			443	00	00	45
			504	00	00	68
			505	00	00	06
नीलामबज़ार	सैदपुर	सैदपुर	152	00	01	31
नीलामबज़ार	राथग्राम भाग 2	राथग्राम भाग 2	739	00	03	00
			1076	00	00	15
			1078	00	01	02
			1073	00	00	03
नीलामबज़ार	चेंगजुरीरपर	चेंगजुरीरपर	1107	00	00	03
नीलामबज़ार	फतेहपुर भाग 1	फतेहपुर भाग 1	326	00	00	27
			228	00	00	78
			349	00	00	90
			325	00	00	56
नीलामबज़ार	बराईटुक	बराईटुक	546	00	06	22
पत्थरकंदी	नालिबाड़ी	नालिबाड़ी	29	00	04	20

पत्थरकंदी	चेंगजुर एलेम	चेंगजुर एलेम	1088	00	00	04
पत्थरकंदी	जमिराला	जमिराला	205	00	03	77
			1107	00	06	69
			1127	00	00	29
पत्थरकंदी	बलाईगांव	बलाईगांव	18	00	22	26
			18/25	00	70	58

[फा. सं. एल- 14014-11-2023-जी पी-II (ई - 46876)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2025

S.O. 3576(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2493(E) dated 29.05.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 05.06.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Silchar-Panisagar Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District :Sribhumi		**State: Assam**				
Circle	**Mauza**	**Village**	**Dag No.**	**Area**		
				Hec.	**Arc**	**Sq.Mtr.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Badarpur	Naharpur	Naharpur	404	00	00	13
			398	00	00	01
			319	00	00	18

			397	00	02	11
			320	00	00	80
			436	00	02	53
			446	00	00	06
			443	00	00	45
			504	00	00	68
Nilambazaar	Saidpur	Saidpur	152	00	01	31
Nilambazaar	Rautgram Pt 2	Rautgram Pt 2	739	00	03	00
			1076	00	00	15
			1078	00	01	02
			1073	00	00	03
Nilambazaar	Chengjurirpar	Chengjurirpar	1107	00	00	03
Nilambazaar	Fatehpur Pt 1	Fatehpur Pt 1	326	00	00	27
			228	00	00	78
			349	00	00	90
			325	00	00	56
Nilambazaar	Baraituk	Baraituk	546	00	06	22
Patharkandi	Nalibari	Nalibari	29	00	04	20
Patharkandi	Chengjur Elam	Chengjur Elam	1088	00	00	04
Patharkandi	Jamirala	Jamirala	205	00	03	77
			1107	00	06	69
			1127	00	00	29
Patharkandi	Bolaigaon	Bolaigaon	18	00	22	26
			18/25	00	70	58

[F. No. L–14014-11-2023-G P- II (E-46876)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.06 14:17:59 +05'30'